Avadh Law College
Barabanki

Law of evidence
(Unit-IV)

Syllabus-

Competency to testify
State privilege
Professional privilege
General principles of examination and cross examination
Leading questions
Unlawful questions in cross examination
Compulsion to answer question put to witness
Hostile witness

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki

Competency of testify
गवाह की साक्षमता-:

इसका अर्थ है कि न्यायालय में गवाही देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होगा?

साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 से 120 और धारा 133 में गवाह की सक्षमता के बारे में प्रावधान किया गया है।

धारा 118 -कौन साक्षी दे सकता है ? Who may testify?

सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो की कोमल वयस अतिवार्द्धक शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के युक्त संगत उत्तर देने से निवारित हैं।

स्पष्टीकरण - : कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

अता धारा 118 में गवाह की सक्षमता सामान्य नियम है और उसकी अक्षमता अपवाद है। जोकि निम्नलिखित है-

1-

यदि गवाह न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है।

2-

यदि गवाह प्रश्नों का उत्तर देने में निम्नलिखित कारणों से असमर्थ हो-

क- कम आयु

ख- अत्यधिक बुढ़ापा

ग- मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी

घ- किसी प्रकार का कोई अन्य कारण

Section 119 -: Dumb witness

मूक साक्षी-

वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो यथा लिखकर या संकेत द्वारा दे सकेगा किंतु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।

परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी।

अता धारा 119 प्रावधान करती है की यदि कोई गवाह बोलने में असमर्थ है तो वह अपना साक्ष्य अन्य रूप में दे सकता है जिस रूप में भी स्पष्ट हो जाए जैसे लिखकर, हाव-भाव के प्रदर्शन द्वारा आदि किंतु इस प्रकार का लिखना या हाव-भाव का प्रदर्शन खुले न्यायालय में होना चाहिए इस प्रकार का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा।

यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसे गवाहों को आवश्यकता के आधार पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे गवाह अपने को स्पष्ट कर सके।

धारा 120 - सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति, अपराधिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी-:

सभी सिविल कार्रवाइयों के वाद के पक्ष कार और वाद के किसी पक्ष कार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी।

प्राचीन काल में पति और पत्नी कानून की दृष्टि में एक समझे जाते थे यदि पति या पत्नी किसी कार्यवाही में पक्षकार रहते थे तो उनकी पत्नी या पति उनके लिए या उनके विरुद्ध गवाह नहीं हो सकते थे इस धारा का उद्देश्य इस प्राचीन नियम को समाप्त करना है ।

अतः अब वर्तमान में साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के अनुसार-

क- सिविल कार्रवाई में दावे के पक्ष कार और किसी पक्ष कार का पति या उसकी पत्नी सक्षम गवाह माने जाएंगे ।

ख- जिसके विरूद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई है उसका पति या पत्नी सक्षम गवाह माने जाएंगे।

Testimony of accomplice (सह- अपराधी का परिसाक्ष्य)
धारा 133- सह-अपराधी -: सह-अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

सह अपराधी वह व्यक्ति होता है जो अपराध करने में बराबर साथ रहता है अपराधी शब्द से अपराध में साथ-साथ दोषी होना विदित होता है जहां पर गवाह यह मानता है कि वह प्रतिवादी के साथ आपराधिक कार्य कर रहा था तो वह सह-अपराधी है।

उदाहरण -: रिश्वत लेना अपराध है और जो किसी लोक अधिकारी को रिश्वत देने का प्रस्ताव रखता है वह सह-अपराधी है ।

धारा 133 को धारा 114 के दृष्टांत (ख) के साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि धारा 133 और धारा 114 के दृष्टांत (ख) का संयुक्त प्रभाव यह है कि यद्यपि किसी सह-अपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त की दोष सिद्धि को अवैध नहीं कहा जा सकता फिर भी व्यवहार में न्यायालय ऐसे साक्ष्य को तात्विक विशिष्टयों में संपुष्टि के बिना स्वीकार नहीं करेंगे।

सह-अपराधी के साक्ष्य कीआवश्यकतायें-: सह-अपराधी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिए यह बातें आवश्यक है-
1-सह-अपराधी का साक्ष्य विश्वास के योग्य होना चाहिए
2-अपराध के साथ अभियुक्त का संबंध स्थापित करते हुए तात्विक विशिष्टियों में उसका साक्ष्य सम्पुष्ट किया जाना चाहिए

साधारण नियम यह है कि सह-अपराधी के परिसाक्ष्य में संपुष्टि की आवश्यकता सदैव रहती है वह अपराधी के साक्ष्य की संपुष्टि का नियम अब एक विधिक नियम बन गया है।
संपुष्टि क्यों आवश्यक है-:
1-सह-अपराधी की प्रकृति सदैव अपने ऊपर से दोष हटाने की होती है अतः अपने ऊपर की दोषिता को दूसरे पर लादने की दृष्टि से मिथ्या शपथ लेता है
2-अपराध में एक सहयोगी होने के कारण इस बात की अधिक संभावना रहती है कि वह शपथ की पवित्रता की अवहेलना कर सकता है तथा मिथ्या साक्ष्य दे सकता है
3-उसके अभियोजन का पक्ष लेने की संभावना रहती है क्योंकि अभियोजन द्वारा उसे क्षमा का वचन दे दिया गया होता है

सह-अपराधी के साक्ष्य का अन्य स्वतंत्र साथियों द्वारा संम्पुष्टि होना आवश्यक है इस नियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने मदन मोहन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1970 के बाद में भी किया और इसकी पुष्टि शेशम्मा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970,के वाद में भी हुई ।

विशेषाधिकृत संसूचनायें. (privilegedcommunication)-:

कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में कोई बात प्रकट करने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता इन्हें विशेषाधिकृत संसूचनाएं कहते हैं विशेषाधिकृत संसूचनाएं दो प्रकार की होती हैं वह जो प्रकट करने से सुरक्षित रखी जाती है तथा वह जिनका प्रकट करना वर्जित होता है।

धारा 121 से 132 साधारण नियमों के अपरादों की घोषणा करती है कि कोई साक्षी समस्त सत्यता बतलाने के लिए और अपने कब्जे शक्ति के किसी भी दस्तावेज को जो विवादास्पद बात से सुसंगत है पेश करने के लिए आबद्ध है।

वे प्रश्न जिनका उत्तर देने के लिए किसी साक्षी को विवश नहीं किया जा सकता (धारा 121, 124 और 125) उनमें और उन प्रश्नों में, जिनका उत्तर देने की उसे अनुज्ञा नहीं दी जा सकती (धारा 123 और 126) सुभिन्नता की जानी चाहिए।

धारा 121. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट-: कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय जिसके वह अधीनस्थ है विवश नहीं किया जाएगा किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी परिस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी।

दृष्टांत

(क)

(ख)

(ग)

धारा 122. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं -:

कोई भी व्यक्ति जो विवाहित है य जो विवाहित रह चुका है किसी संसूचना को जो किसी व्यक्ति द्वारा जिससे वह विवाहित है यह चुका है विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा और न वह किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि वह व्यक्ति जिसने वहसंसूचना दी है या उसका हित प्रतिनिधि सम्मत ना हो सिवाय उन वादों में जो विवाहित व्यक्ति के बीच हो या उन कार्यों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है।

राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1954 एस.सी. के बाद में न्यायमूर्ति वैकुंठ वेंकटारमैया ने अभिनिर्धारित किया की पत्नी केवल अपने पति के आचरण का साक्ष्य दे सकती है किंतु उसका नहीं जो कुछ उसने उससे कहा था।

धारा 122 में जो सामान्य नियम प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि पति या पत्नी वैवाहिक काल में एक दूसरे को दी गई संसूचना को एक दूसरे के विरुद्ध प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते हैं और ऐसी संसूचनाओं को न्यायालय के अंतर्गत साबित करने से रोक दिया जाएगा।

धारा 122 को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पत्नी या पति मामले की कार्यवाही के पक्षकार हों।

उदाहरण - कोई ऐसा वाद है जिसमें पति या पत्नी पक्षकार नहीं है किंतु पति और पत्नी के बीच के वार्तालाप को मामले को निपटाने के लिए पेश करना जरूरी है तो यह धारा ऐसे वार्तालाप को पेश करने की अनुमति नहीं देती।

परंतु इस धारा में कुछ अपवाद है प्रत्येक प्रकार की संसूचना सुरक्षित नहीं रखी जा सकती-

1-

संसूचना के अतिरिक्त कार्य - :

कोई पत्नी यह साक्ष्य दे सकती है कि उसके पति ने किसी विशेष अवसर पर क्या कार्य किए थे परंतु इस बात का नहीं कि उसने क्या कहा था।

2-

पर व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य -:

पति पत्नी में किसी पर व्यक्ति की उपस्थिति में होने वाली बातचीत या जिस किसी पर व्यक्ति ने छिपकर सुन लिया हो उसका साक्ष ऐसा व्यक्ति दे सकता है केवल विवाह के पक्षकार साक्ष्य देने से वर्जित होंगे कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

3-

विशेषाधिकार का अधित्यजन -:

किसी विशेषाधिकृत संसूचना का साक्ष्य उस व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि की अनुमति से दिया जा सकता है जिसने संसूचना दी थी इसे विशेषाधिकार का अधित्यजन कहते हैं।

State privilege राज्य विशेषाधिकार -:

धारा 123 राज्य के कार्यकलापों के बारे में अप्रकाशित दस्तावेजों को प्रकट किए जाने से सुरक्षित रखती है दस्तावेज राज्य के कार्यकलाप से संबंधित होना चाहिए या उसका प्रकट करना लोकहित य राज्य के कार्यकलाप के विरुद्ध हो।

धारा 123. राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य -:

कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात ना किया जाएगा सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे।

अता स्पष्ट है कि बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के कोई भी व्यक्ति अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों की जो राज्य के मामले के विषय में हैं साक्ष्य नहीं दे सकता है।

इस धारा के साथ धारा 162 को भी पढ़ा जाना चाहिए धारा 162 उपबंधित करती है कि जब किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया हो तो चाहे उसे कुछ आपत्ति हो तो भी उसे दस्तावेज पेश करने के लिए आना चाहिए और उसकी आपत्ति की बात न्यायालय तय करेगा इस उपबंध से यह प्रतीत होता है कि यह अप्रकाशित सरकारी दस्तावेजों को जो सुरक्षा धारा 123 ने दी है उसे काटने का प्रयोजन नहीं रखता है।

धारा 124. शासकीय सूचनाएं -:

कोई भी लोक ऑफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जबकि वह समझता है कि इस प्रकटन से लोकहित की हानि होगी।

अतः धारा 124 से स्पष्ट है कि किसी भी लोक अधिकारी उस संसूचना को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो उसे शासकीय विश्वास में दी गई है जबकि वह लोक अधिकारी यह समझता है कि इससे लोक हित में हानि होगी।

धारा 125. अपराधों के करने के बारे में जानकारी -:

कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली और किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

स्पष्टीकरण - इस धारा में राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारोबार में या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है।

धारा 125 के अंतर्गत लोक ऑफिसर को अपने संसूचनाओं के स्रोत सुरक्षित करने का अवसर देती है किसी भी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस ऑफिसर से यह नहीं पूछा जा सकता कि उसे किसी अपराध के बारे में कैसे और किस व्यक्ति से सूचना मिली अर्थात मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी को इजाजत दी गई है कि वह अपने मुखबिर का नाम चाहे प्रकट करें चाहे न करें यदि यह अधिकार न दिया गया होता तो मुखबिर से बदला लिए जाने का भय था और अधिकारियों के लिए कोई मुखबिर मिल सकना असंभव हो जाता।

वृत्तिक संसूचनाएं (professional communication)

वृत्तिक संसूचना का तात्पर्य ऐसी विश्वसनीय संसूचना से है जो व्यावसायिक कानूनी सलाहकार व मुवक्किल के बीच उस सलाहकार की नियुक्ति के उद्देश्य पर दी जाती है धारा 126 के इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि कानूनी सलाहकार को दी जाने वाली संसूचना के संरक्षण का विशेषाधिकार नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपना पूरा मामला बताने से डरेगा और उसका परिणाम यह होगा कि वह पूर्ण सहयोग नहीं प्राप्त कर सकेगा इस धारा में विश्वसनीय संसूचना को प्रकट न करने के लिए जो विशेषाधिकार दिया गया है वह केवल कानूनी सलाहकार के लिए है यदि वह डॉक्टर या पादरी इत्यादि को दिया गया है तो उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है।

धारा 126. वृत्तिक संसूचनाएं -:

कोई भी बैरिस्टर अटार्नी प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे वेरिस्टर अटार्नी प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा या की ओर से उसे दी गई हो अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है अंतर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या

के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण ना देगी-

1- किसी भी अवैध प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना

2- ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी वेरिस्टर प्लीडर अटार्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है ।

यह तत्व हीन है कि ऐसे वेरिस्टर प्लीडर अटॉर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार द्वारा या की ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं ।

स्पष्टीकरण - इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित हो जाने के उपरांत भी बनी रहती है।

दृष्टांत -:

(क) - कक्षीकार का अटार्नी ख से कहता है मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है जिसका दोषी होना ज्ञात हो ।

(ख)-

(ग)-

धारा 127. धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी -:

धारा 126 के उपबंध दुभाषियों और बैरिस्टरों प्लीडरों अटार्नी और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे।

धारा 128. साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्धत होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता -:

यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह भी न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए जैसा की धारा 126 में वर्णित है सम्मति दे दी तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी वेरिस्टर प्लीडर अटार्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है तो यह कि उसने ऐसे प्रकरण के लिए अपनी सहमति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा जबकि वह ऐसे वेरिस्टर अटार्नी या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करें जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन हो ना होता ।

अता धारा 128 से स्पष्ट है कि यदि दोनों में से कोई भी गवाह की हैसियत से उपस्थित होता है तो भी यह सुरक्षा यथावत बनी रहेगी किंतु यदि मुवक्किल वकील को गवाह के रूप में बुलाता है तो वकील उस संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य हैं कारण यह है कि जब मुवक्किल वकील को साक्षी के

रूप में बुलाता है और वकील से संसूचना का रहस्योदघाटन करने के लिए कहता है तो यह समझा जायेगा कि विवक्षित रूप से उसने रहस्योदघाटन करने की स्वीकृति दे दी है।

धारा 129 -: विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं -:

कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना का जो उसके और उसके विधि वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दें ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा, किंतु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं ।

अतः धारा 129 स्पष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति को यह प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसके एवं उसके कानूनी सलाहकार में क्या विश्वसनीय संसूचना हुई है जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं अपने को गवाह के रूप में नहीं लाता है उस समय उसे ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है जो न्यायालय की दृष्टि में आवश्यक है जिससे दिए गए साक्ष्य का स्पष्टीकरण हो जाए ।

General principles of examination and cross examination (परीक्षा एवं प्रति-परीक्षा के साधारण सिद्धांत)

समान्यता साक्षियों के पेश होने का क्रम तथा इसके बारे में विधि सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट है और यदि किसी विषय पर कोई उपवन्ध सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं मिलता है तो न्यायालय अपने स्वयं के विवेक से तय करते हैं इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 135 से 166 तक में प्रावधान किया गया है।

धारा 135 : साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम -: साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया के तत्संबंधित विधि और पद्धति द्वारा तथा ऐसे किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा विनियमित होगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 और दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 18 20 21 22 और 28 में साक्षियों की परीक्षा के ढंग को बताया गया है।

ग्राहता का निश्चय -:

धारा 136 : न्यायालय साक्ष्य की ग्राहता के बारे में निश्चय करेगा -:

जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साथ देने की प्रस्थापना करता है तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की स्थापना करने वाले प्रकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित साक्ष्य यदि वह साबित हो जाए किस प्रकार से सुसंगत होगा और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा अन्यथा नहीं।

यदि वह तथ्य जिसका साबित करना प्रस्थापित है ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राहा होगा ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा जब तक की पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन ना दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट ना हो जाए।

यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

दृष्टांत :

(क)

(ख)

(ग

(घ

अतः स्पष्ट है कि यह धारा न्यायालय को ऐसे मामलों में साक्ष्य पेश करने के क्रम को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत शक्ति प्रदान करती है जहां की एक तथ्य का सबूत दूसरे तथ्य के सबूत पर निर्भर करता है न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह पूछ सकता है कि दिया जाने वाला साक्ष्य किस प्रकार से सुसंगत है तब न्यायाधीश को उसकी ग्राहता का निर्णय करना चाहिए न्यायाधीश को यह देखना पड़ता है कि अभिलेख पर लाने के लिए किसी तथ्य को अधिनियम की सुसंगति की धाराओं (धारा 5 से 55 तक) के अंतर्गत अवश्य ही सुसंगत होना चाहिए ।

धारा 137 :- धारा 137 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि साक्ष्य में केवल सुसंगत तथ्यों को पेश किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय साक्ष्य पेश करने वाले पक्षकार से यह जांच कर सकता है कि प्रस्तावित साक्ष्य किस प्रकार और किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है इसके अतिरिक्त यह धारा न्यायालय को साक्ष्य पेश करने के क्रम के नियंत्रण का अधिकार भी देती है उस समय जबकि एक तथ्य का सबूत दूसरे तथ्य के सबूत पर निर्भर करता है।

धारा 137.

मुख्य परीक्षा -: किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाती है ।

प्रति परीक्षा -: किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाती है ।

पुनः परीक्षा -: किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्ष कार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी ।

धारा 137 "मुख्य परीक्षा" , " प्रति परीक्षा" , और "पुनः परीक्षा" का अर्थ बताती है जबकि धारा 138 मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा के लेने का क्रम निर्धारित करती है यह धारा मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा की सीमा का भी निर्धारण करती है तथा प्रति परीक्षा करने का अधिकार भी धारा 138 के अंतर्गत प्राप्त होता है ।

धारा 138. परीक्षाओं का क्रम -:

साक्षियों से सर्वप्रथम मुख्य परीक्षा होगी उसके पश्चात प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो प्रति परीक्षा होगी तत्पश्चात यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो पुनः परीक्षा होगी ।

परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है ।

पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हो तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा कर सकेगा ।

धारा 139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रति परीक्षा -:

ऐसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता उनकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती ।

अतः धारा 139 से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए समन किया गया है तो ऐसे व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा व्यक्ति साक्षी के तौर पर न्यायालय में न बुलाया गया हो या जब तक उसने कुछ मौखिक साक्ष्य न दिया हो ।

धारा 140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी -: शील का साथ देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी ।

सूचक प्रश्न (leading question)-

वह प्रश्न जो गवाह को यह इशारा करता है कि उसका वही उत्तर होगा जो कि प्रश्न कर्ता द्वारा वांछित है तो
उसे सूचक प्रश्न कहते हैं। सूचक प्रश्न से संबंधित उपबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 141, 142 और 143 में दिए गए हैं-

धारा 141. सूचक प्रश्न -: कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है सूचक प्रश्न कहा जाता है।

धारा 142. सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए -:

सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए।

न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना या परिचायक के रूप में या निर्विवाद है जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से ही साबित हो चुके हैं सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।

धारा 143. सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकेंगे? -: सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे।

धारा 142 और 143 के उप बंधों से स्पष्ट है कि निम्नलिखित दशाओं में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं-

1- प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
2- कुछ विषय में मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में न्यायालय की आज्ञा से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
3-पक्ष द्रोही साक्षी से उसे बुलाने वाला पक्षकार न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा कर सकता है।

धारा 146. परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न -:

जबकि किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिनपूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रकृति-

1-उसकी सत्यवादिता परखने की है

2-यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है

3-उसके शील को दोस्त लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्ष या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो।

परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376,धारा 376-क, धारा 376-ख ,धारा 376-ग , धारा 376-घ, धारा 376-ड. के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न के किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाध है वहां पीड़िता की प्रति परीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मत की गुणवत्ता साबित करने के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।

धारा 147. साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा -:

यदि कोई ऐसा प्रश्न उस वाद्य कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है तो धारा 132 के उपबंध उसको लागू होंगे।

धारा 132. इस आधार पर की उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा -:

कोई साक्षी किसी वाद या किसी दीवानी या दांडिक कार्रवाई में विवाधक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य न होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या संपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षता या परोक्षता उच्छन्न करने की होगी।

परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्यधीन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साथ देने के लिए अभियोजन में के सिवाय व उसके विरुद्ध किसी दांडिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा।

यह सुरक्षा गवाह को इसलिए प्रदान की गई है जिससे गवाह न्याय करने में सहायता प्रदान कर सके।

(Hostile witness) पक्ष द्रोही साक्षी -

पक्ष द्रोही शब्द से तात्पर्य है कि जब कोई साक्षी उसे बुलाने वाले पक्ष कार के विरुद्ध गवाही देता है तो उसे पक्ष द्रोही साक्षी कहा जाता है। पक्षद्रोही साक्षी के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में प्रावधान किया गया है।

धारा 154. पक्ष कार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न -:

1- न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उसे साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रति पक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में किए जा सकते हैं।

2-इस धारा की कोई बात उप धारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात व्यक्ति को ऐसे साक्षी के साक्ष्य के किसी भाग पर निर्भर करने के हक से वंचित नहीं करेगा।

अतः धारा 154 से स्पष्ट है कि जब कोई साक्षी उसी पक्षकार के विरुद्ध बातें करने लगे जिसने उसे बुलाया है तो ऐसे साक्षी को पक्ष द्रोही साक्षी कहते हैं इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी प्रति परीक्षा उसी पक्ष कार द्वारा की जाए जिसने उसे बुलाया है ताकि उसकी बातों का खंडन हो सके यह न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकता है। जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा प्राप्त करता है वह प्रश्नों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री का साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकेगा ।

प्रफुल्ल कुमार बनाम एंपरर् (1931) -:

के बाद में न्यायालय ने अवधारित किया कि किसी गवाह का साक्ष्य जो पक्ष द्रोही हो गया है उसका उतना साक्ष्य जितना बुलाने वाले के हित में है अपवर्जित करने की आवश्यकता नहीं है और जितना प्रतिकूल पक्ष कार के हित में है उसे भी अपवर्जित करने कीआवश्यकता नहीं है।

अतः पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है यदि वह किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट हो जाता है ।

Pankaj Katiyar
Assistant Professor
Avadh Law College
Barabanki